न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–168/2015

बउनवान

श्योलाल उर्फ श्योराम पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी खड़ीला तहसील अटरू
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारॉ
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 05.07.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 164/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 27.04.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम आमली की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2071 मे खसरा नम्बर 46 की रकबा 1.20 है. भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 540/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 04.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस समाअत करने हेतु अपीलांट के अभिभाषक को 20 अवसर दिये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा बहस नहीं की तथा ना ही गत 4 पेशियों से न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहे। अतः हमने पेरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस समाअत की।

दौराने बहस पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त की है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया जाना बयान पटवारी एवं रिपोर्ट से प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा बहाल रखी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पेरोकार सरकार के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया। हम पेरोकार सरकार के तर्कों से पूर्णतया सहमत हैं। अपीलांट ने राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 164/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 27.04.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां